जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

कोटा

Rashtradoot

फोनः- 2386031, 2386032 फैक्सः- 0744-2386033 वर्षः 49 संख्याः 284 प्रभात कोटा, शनिवार 27 जुलाई, 2024 कोटा/24/2012-14 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

राहुल गांधी को 5, सुनहरी बाग, बंगला अलॉट हुआ

यह नया बंगला सोनिया गांधी के बंगले से व नये संसद भवन से एक मिनट कार ड्राइव की दूरी पर है

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 जुलाई। अब राहुल गांधी का पता बदल गया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता की हैसियत से उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है तथा इसलिये अब वे टाइप-8 आवास के लिये अधिकृत हैं।

लोकसभा की हाउसिंग कमेटी में आवास के रूप में उन्हें 5 सुनहरी बाग रोड बँगला आवंटित किया है। राहुल ने अभी तक आवास को स्वीकार की लिखित सहमति नहीं दी है, हालाँकि उनके सुरक्षाकर्मी नये आवास में पहुँच गये हैं तथा वे उत्सुकता से भरे मीडिया को वहाँ नहीं आने दे रहे हैं।

आज प्रियंका तथा राहुल गांधी इस बँगले को देखने गये थे। यह बँगला सोनिया गांधी के आवास, 10 जनपथ से 1 मिनट ड्राइव की दूरी पर है तथा इतनी ही दूर इस बँगले से संसद भवन है, जहाँ विपक्ष के नेता के रूप में उन्हें बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है।

संसद की नई इमारत में भी राहुल को एक कक्ष दिया गया है, जो विपक्षी नेताओं का केन्द्र बन गया है। कई नेता इस कक्ष में सुकून से विश्राम करते हुए देखे जा सकते हैं।

शरद पवार जैसे वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के विपक्ष के नेता वाले कार्यालय में प्राय: दिखाई देते हैं।

एल.ओ.पी. की अधिकांश मीटिंग भी इसी कक्ष में होती हैं।

पिछले चन्द रोज़ से राहुल यहाँ अपनी पार्टी के उन सांसदों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, जो बजट पर बोलेंगे। वे उन्हें भाषण के मुख्य बिन्दुओं के बारे में भी बता रहे हैं तथा बजट के उन बारीक बिन्दुओं पर भी चर्चा कर रही हैं, जिन पर विशेष जोर दिया जाना जरूरी है।

याद दिला दें कि जब राहुल पहली बार सांसद बने थे, उस समय उन्होंने 12 तुगलक लेन को अपना घर बनाया था। यह बँगला उन्होंने सुरक्षा संबंधी बिन्दुओं को मद्देनज़र रखते हुए आवंटित किया गया था।

लेकिन जब गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश ने उन्हें डिस्क्वालिफाई कर दिया था तो उनके पास उस बँगले को खाली करने का नोटिस भेजा गया था। उस समय राहुल उच्चतर अदालत में अपील करने की तैयारी कर रहे थे, इसके बावजूद उन्होंने बँगला खाली कर दिया था। ज्ञातव्य है कि उन्होंने अपील की थी तथा जीत गये थे। लेकिन उन्हें कोई बँगला आवंटित नहीं किया गया तथ वे अपनी माँ के साथ रहने के लिए 10 जनपथ चले गये। अब वे वहाँ से इस बँगले में शिफ्ट होंगे।

- राहुल को नये संसद भवन में एक ऑफिस भी अलॉट हुआ है, विपक्ष के नेता की हैसियत से।
- राहुल का यह ऑफिस इण्डिया गठबन्धन के नेताओं की आवा-जाही का केन्द्र बन गया है, तथा वरिष्ठ नेतागण, जैसे शरद पवार भी वहां प्रायः देखे जाते हैं।
- अब गांधी परिवार की सदस्या प्रियंका गांधी ही एक प्राइवेट मकान में रह रही हैं, क्योंकि, उनकी सुरक्षा हटा देने के बाद, उनको नया बंगला अलॉट करना आवश्यक नहीं है।
- चर्चाओं के अनुसार, राहुल गांधी द्वारा वायनाड की संसदीय सीट से इस्तीफा देने के बाद, प्रियंका गांधी वहां से उपचुनाव लड़ेंगी और वहां से उनके जीतने की प्रबल संभावना है, फिर, गांधी परिवार के तीनों बड़े नेता अपने-अपने सरकारी निवास में हक से रहने लगेंगे।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

प्रियंका गांधी ने इज़राइली प्रधानमंत्री को "बर्बर" कहा

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 जुलाई। युद्ध की त्रासदी झेल रहे फिलीस्तीन लोगों के प्रति सद्भावना दर्शाने के निर्णायक प्रयास के तहत कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने गाज़ा पर वॉर के लिए इज़राइल की कठोर निंदा की। गाज़ा पर इज़राइल का हमला दस माह से चल रहा है और अब तक इसमें 40,000 लोग मारे जा चुके हैं। प्रियंका ने विश्व समुदाय से अपील की है कि वे इस नरसंहार के लिए इज़राइल की कड़ी आलोचना करें और उसे ऐसा करने से रोंके।

प्रियंका गांधी ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि गाज़ा में नरसंहार में मारे जा रहे नागरिक, माता-पिता, नर्स, डॉक्टर, सहायताकर्मी, शिक्षक, लेखक, कवि, वरिष्ठ नागरिकों व मासूम बच्चों के बारे में बोलना ही पर्याप्त नहीं है। हर सही सोच वाले व्यक्ति, जिनमें इज़राइल के नागरिक भी शामिल हैं, की नैतिक जिम्मेवारी है कि वे हिंसा का

- प्रियंका गांधी की यह टिप्पणी इस समय की भारत सरकार की विदेश नीति, जो इज़राइल समर्थक प्रतीत होती है, के खिलाफ है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सुप्रीम कोर्ट ने यू.पी. सरकार पर लगे "स्टे" की अवधि बढ़ाई

यू.पी. सरकार का निर्देश था कि कांवड़ यात्रा के मार्ग पर खाद्य सामग्री बेचने वाले प्रतिष्ठानों को अपने मालिक व कर्मचारियों के नाम, प्रतिष्ठान पर प्रमुखता से डिस्प्ले करने होंगे

-सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 जुलाई। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने उस अन्तरिम स्टे को हटाने से इन्कार कर दिया जो उसने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी कांवड़ यात्रा के मार्ग पर पड़ने वाले खान-पान के भोजनालयों व ढाबों के बारे में यू.पी. सरकार के इस आदेश पर जारी किया था कि कांवड़ यात्रा के रास्ते में आने वाले भोजनालयों व ढाबों के मालिक अपनी दुकान के बाहर अपना नाम व पता प्रदर्शित करेंगे।

कोर्ट ने इस बात को रेखांकित किया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो शपथ- पत्र गुरुवार रात्रि को कोर्ट में दाखिल किया था, उसे वे पढ़ नहीं पाए हैं तथा उत्तराखण्ड सरकार व मध्यप्रदेश ने जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की है। इसके बाद न्यायाधीश ऋषिकेश रॉय व न्यायाधीश एस.वी.एन. भट्टी ने अगली सुनवाई की तारीख 5 अगस्त तक अन्तरिम स्टे को बढ़ा दिया।

- सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्देश पर, 22 जुलाई को स्टे लगाया था, जो 26 जुलाई तक लागू रहना था, पर, आज 26 जुलाई को यह "स्टे" अगली तारीख, यानि 5 अगस्त तक जारी रखने के आदेश दिये।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह अभी यू.पी. सरकार द्वारा इस मसले पर प्रस्तुत जवाब को पढ़ नहीं पाई है।
- सुप्रीम कोर्ट ने पर यह भी स्पष्टीकरण दिया कि अगर इन ढ़ाबों, थड़ियों के मालिक स्वयं ही अपना नाम दुकान पर प्रमुखता से लिखवाकर "डिस्प्ले" करना चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को कोई आपत्ति नहीं होगी।
- मुकुल रोहतगी ने यू.पी. सरकार की ओर से पैरवी की तथा अभिषेक मनु सिंघवी ने यू.पी. सरकार के आदेश के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के तर्क प्रस्तुत किये।

हालांकि, बैंच ने स्पष्ट किया कि कांवड़ यात्रा के दौरान उसके मार्ग में आने वाले ढाबों तथा भोजनालयों के मालिकों एवं कर्मचारियों के द्वारा स्वैच्छिक आधार पर दुकानों के बाहर अपने नाम लिखे जाते हैं तो 22 जुलाई को कोर्ट द्वारा जारी आदेश के अनुसार

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कर्नाटक में जोर पकड़ रहा केन्द्र बनाम राज्य का झगड़ा

नीट और ई.डी. के खिलाफ कर्नाटक सरकार ने सख्त रूख अपनाया

-लक्ष्मण वैंक कुची -
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 जुलाई। राज्य बनाम केन्द्र का विवाद और गर्मा गया है, कर्नाटक ने भी गत दिनों तमिलनाडु की तरह नीट विरोधी संकल्प प्रस्तावित करके केन्द्र सरकार को एक सख्त संकेत दिया है तथा प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करके केन्द्रीय जांच एजेन्सियों की मनमानी के खिलाफ भी कठोर संदेश दिया है, दर्ज एफ.आई.आर. में आरोप लगाया है कि ई.डी. के अधिकारियों ने एक मंत्री को भ्रष्टाचार के केस में फंसाने के लिए दबाव बनाने का प्रयास किया था।

नीट की परीक्षा में पेपर लीक को लेकर चल रहे घमासान विवाद के बीच, कर्नाटक ने भी केन्द्रीयकृत परीक्षा प्रक्रिया पर सवाल उठाया और नीट की परीक्षा से व्यवस्था से अलग रखने का प्रस्ताव पारित किया, यह लगभग वैसा ही है जैसा कि तमिलनाडु पहले ही दोबार कर चुका है और कर्नाटक ने भी घोषणा की है कि राज्य सरकार अपने प्रदेश में मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए परीक्षाएं स्वयं आयोजित करा लेगी।

यह कुछ वैसा ही है जैसा कि केन्द्र सरकार ने देश में मेडिकल के सभी कोर्सेज में प्रवेश के लिए नीट को नियमानुसार अनिवार्य बनाकर पहले की प्रक्रिया को बंद कर दिया था, इन पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों का प्रवेश नीट परीक्षा के अंकों के आधार पर होता है, जिसका तमिलनाडु सरकार यह कहकर विरोध करती रही है कि नीट के लागू होने से राज्य के गरीब व पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी वर्ग का मेडिकल एजुकेशन के मैदान में समान अवसर नहीं मिलता है उनको यह अधिकार नहीं मिलता है। उनका यह अधिकार छीन लिया गया है।

नीट के खिलाफ दो बार विधानसभा में सर्वसम्मति से संकल्प पारित करने के बावजूद अभी अपना निर्णय नहीं लिया है, जिस प्रकार का

- कर्नाटक ने विधानसभा में नीट परीक्षा प्रणाली के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। तमिलनाडू भी दो बार ऐसा प्रस्ताव पारित कर चुका है।
- कर्नाटक में ई.डी. अधिकारियों के खिलाफ एफ.आई.आर. भी दर्ज की गई है तथा आरोप लगाया गया है कि ई.डी. अधिकारी प्रशासनिक अधिकारियों को, मंत्री को भ्रष्टाचार के केस में फंसाने के लिए धमका रहे हैं।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भारतवासी 58 देशों की वीज़ा फ्री यात्रा कर सकते हैं

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 जुलाई। पाकिस्तान का पासपोर्ट लगातार चौथे वर्ष चौथे सबसे बुरे स्थान पर है। यह जानकारी हैनली पासपोर्ट इन्डैक्स की नवीनत जानकारी में दी गई है। पाकिस्तान के नागरिक किसी सिर्फ 33 देशों की ही वीज़ा फ्री यात्रा कर सकते हैं। हैनली पासपोर्ट इन्डैक्स इन्टरनैशनल (आई.ए.टी.ए.) के डेटा का इस्तेमाल कर 199 देशों के ट्रेवल डॉक्यूमैन्ट्स का मूल्यांकन करता है। डॉक्यूमैन्ट्स होल्डर्स कितने वीज़ा फ्री देशों की यात्रा करता है, उसी के आधार पर मूल्यांकन

- नवीनतम हैनली पासपोर्ट इन्डैक्स में भारत की रैंकिंग 82 पहुंच गई है, जबकि पाकिस्तान लगातार चार साल से 100वें नम्बर पर है और पाकिस्तानी नागरिक सिर्फ 33 देशों की ही वीज़ा फ्री यात्रा कर सकते है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

गलता पीठ प्रकरण में यथास्थिति के आदेश, स्टे एप्लिकेशन पर फैसला सुरक्षित

'स्वामी अवधेशाचार्य व उनका परिवार ही गलता पीठ में पूजा अर्चना करना जारी रखेंगे'

जयपुर, 26 जुलाई (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने गलता पीठ की संपत्तियों और महंत की नियुक्ति के संबंध में हाईकोर्ट की एकलपीठ द्वारा दिये गये फैसले पर कार्रवाई करने पर अंतरिम रोक लगाई है और दोनों पक्षों को यथा-स्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही अदालत ने मामले में एकलपीठ के आदेश के खिलाफ दायर अपील और स्टे प्रार्थना पत्र पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत ने कहा कि जब तक वह स्टे एप्लीकेशन पर अपना फैसला नही सुना देती, तब तक राज्य सरकार एकलपीठ के फैसले को क्रियान्वित करने के लिये कोई कार्रवाई नहीं करे।

गौरतलब है कि 26 जुलाई की शाम साढ़े चार बजे तक देवस्थान विभाग की ओर से कई अधिकारी गलता पीठ से संबंधित संपत्तियों का मौका मुआयना व कब्जा लेने गलता पीठ के परिसर में पहुंच चुके थे। परंतु अदालत ने यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये और कहा कि उसके आदेश के बाद, यानी शाम 4.30 बजे के बाद मौके पर कोई कार्रवाई नही की जाये। चीफ जस्टिस (सी.जे.) एम.एम. श्रीवास्तव और जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश अवधेशाचार्य की ओर से दायर अपील में पेश स्टे प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए। इस मामले में स्वामी अवधेशाचार्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर.एन.माथुर तथा अधिवक्ता सुरूचि कासलीवाल सुनवाई के लिये पेश हुए थे। अदालत ने दो घंटे से भी अधिक समय तक मामले की सुनवाई की और सहायक देवस्थान आयुक्त, महेन्द्र देवतवाल को सख्त हिदायत दी कि अगर अदालत को पता चला कि 4.30 बजे बाद मौके पर कार्रवाई जारी रखी गई थी तो अदालत उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी।

अपीलार्थी के वकीलों ने अदालत को बताया कि एकलपीठ ने गत 22 जुलाई को आदेश जारी कर गलता पीठ के महंत पद पर अपीलार्थी की नियुक्ति रद्द कर दी थी। उन्होंने अदालत को कहा कि यह मामला कई वर्षों से चल रहा है परंतु फिर भी किसी भी याचिका में गलता पीठ के ट्रस्ट की रजिस्ट्री को चुनौती नहीं दी गई है, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि गलता पीठ के महंत की नियुक्ति कैसे की जायेगी। उन्होंने कहा कि रजिस्टर्ड ट्रस्ट के दस्तावेजों के अनुसार यह साफ लिखा है कि महंत के बाद उसके पुत्र ही महंत नियुक्त किये जाएंगे। उन्होंने अदालत को बताया कि कई सौ साल से यह प्रथा चली आ रही है कि महंत के पुत्र ही महंत घोषित किये गये हैं और गलता पीठ के सभी महंतों की सूची उनके द्वारा अदालत में पेश की गई थी, परंतु एकलपीठ ने कई तथ्यों की अनदेखी करते हुए यह आदेश दिये हैं कि स्वामी अवधेशाचार्य को गैर कानूनी तरीके से गलता ठिकाने का महंत घोषित किया गया है। उन्होंने अदालत को इस तथ्य से भी अवगत कराया कि वर्ष 1943 में रामोदराचार्य की महंत पद पर नियुक्ति हुई थी। सुनवाई के दौरान बताया गया कि वर्ष 1963 में पंजीकृत हुए ट्रस्ट में स्पष्ट प्रावधान किया गया था कि महंत का पद तत्कालीन महंत के पुत्र को ही दिया जाएगा, जिसे किसी भी मुकदमे में चुनौती नहीं दी गई, जबकि कई मुकदमे दायर किये गये, जिनमें केवल पीठ की संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने के आरोप लगाये गये थे। उन्होंने अदालत को कहा कि हाईकोर्ट की

- अपीलार्थी के वकीलों के अनुसार, अदालत ने कहा कि उसके आदेश के बाद, यानी शाम 4.30 बजे के बाद से मौके पर सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाये।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'एल.पी.जी. बॉटलिंग प्लांट आबादी क्षेत्र के बाहर कब जाएगा?'

जयपुर, 26 जुलाई। राजस्थान हाईकोर्ट ने केन्द्र व राज्य सरकार से पूछा है कि जयपुर के सीतापुरा स्थित इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि. (आई.ओ.सी.एल.) के एल.पी.जी. बॉटलिंग प्लांट को पूर्व में चिन्हित जगह पर कब तक शिफ्ट करेंगे और इसके लिए उनकी क्या योजना है। मामले में केन्द्र व राज्य सरकार सहित, आई.ओ.सी.एल. से जवाब देने के लिए कहा है।

- राजस्थान हाई कोर्ट ने केन्द्र व राज्य सरकार से आई.ओ.सी.एल. के एल.पी.जी. बॉटलिंग प्लांट की शिफ्टिंग योजना पर सवाल किया। हाई कोर्ट ने ओमप्रकाश टांक की जनहित याचिका पर यह आदेश दिया।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

रोज 14 घंटे काम करने का प्रस्ताव रख कर चारों तरफ से घिरी कर्नाटक सरकार

आई.टी. उद्योग और श्रमिक संगठनों ने भारी विरोध जताया

- लक्ष्मण वैंकट कुची -
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 जुलाई। कर्नाटक का आई.टी. उद्योग व श्रमिक वर्ग राज्य सरकार के सामने खड़े हो गये हैं। इन्होंने सरकार की 14 घंटे काम करने की शर्त को राज्य सरकार की "श्रमिक-विरोधी" नीति करार दिया है। इनका कहना यह तो इनफॉसिस के संस्थापक एन.आर.नारायणमूर्ति की उस सलाह से भी ज्यादा घातक है, जिसमें उन्होंने काम के घंटे बढ़ाने की बात कही थी। इस सलाह को लेकर आई.टी.जार को सारी दुनिया में ट्रोल किया गया था।

कर्नाटक सरकार 14 घंटे प्रतिदिन काम करने का प्रस्ताव लेकर आई है जिसने आई.टी. श्रमिक संगठनों के साथ एक नये और बहुत बड़े विवाद को जन्म दे दिया है। आई.टी. श्रमिक संगठन तथा आई.टी. बॉडी नैसकॉम ने इसका कड़ा विरोध करते हुए, इसे "अमानवीय" तथा "कर्मचारियों के मूलभूत अधिकारों पर हमला" बताया है। अभी चन्द दिन पहले ही, कर्नाटक सरकार ने श्रमिक कानून में परिवर्तन किया था, जिसके अन्तर्गत, स्थानीय लोगों को नौकरी में आरक्षण देने का प्रावधान कर दिया था। इस आरक्षण का भी उद्योग-जगत ने भारी विरोध किया था तथा सरकार को इस क्रियान्वयन को तत्काल रोकना पड़ा था। अब सरकार पर कदम पीछे हटाने का दबाव फिर से पड़ रहा है। इस बार, श्रमिक तथा आई.टी. मैनेजमेन्ट दोनों ही सरकार की काम के घंटे बढ़ाने की सिफारिश का विरोध कर रहे हैं।

कर्नाटक स्टेट आई.टी./आई.टी.ई.एस. एम्प्लॉयीज यूनियन (के.आई.डी.यू.) ने कहा है कि इस कदम से काम के घंटे बढ़ने से प्रतिष्ठानों में शिफ्टों की संख्या "कम जो जायेगी।" आई.टी. कर्मचारियों की ट्रेड यूनियन ने कहा है, "नया प्रस्ताव श्रमिक के मौलिक अधिकारों पर हमले के अलावा और कुछ नहीं है तथा यह प्रस्ताव श्रमिक के निजी समय को उससे छीन लेगा। कर्नाटक सरकार, अपने कॉरपोरेट बॉसों को खुश करने की कोशिशों में, किसी व्यक्ति के सबसे प्रमुख मौलिक अधिकार, जीने के अधिकार, की उपेक्षा कर रही है।" यूनियन के सदस्यों ने राज्य के श्रम मन्त्री सन्तोष लाड से भी भेंट की। मन्त्री ने कहा कि सरकार कार्य के घंटे बढ़ाने के बिन्दु पर कॉरपोरेट प्रमुखों को केवल अपनी प्रतिक्रिया दे रही है। श्रम मन्त्री ने कर्मचारी यूनियन से वादा किया कि इस मामले में सभी हितधारकों के साथ चर्चा का एक राउन्ड और होगा।

संतोष लाड ने मीडियाकर्मियों को बताया, "काम के घन्टे बढ़ाने का प्रस्ताव कर्नाटक सरकार का नहीं है। कॉपोरेट कम्पनियाँ तथा शीर्ष आई.टी. कम्पनियों के प्रमुख हमारे पास आये थे तथा मौजूदा श्रम-कानूनों में यह संशोधन करने के लिये हमसे कहा था। चूँकि, इससे हर तरफ एक बहस छिड़ गई है, इसलिये कॉर्पोरेट प्रमुखों तथा उनके कर्मचारियों को उनके स्तर पर ही इस पर चर्चा करनी होगी, तथा सरकार जनता के हितों के अनुकूल ही चलेगी।"

इस बीच, के.आई.टी.यू.(किटू) ने सभी कर्मचारी संगठनों का आव्हान किया है कि वे इन नये नियमों का विरोध करें, जो पूरी तरह अमानवीय हैं। किटू ने कहा, "किटू सभी आई.टी./आई.टी.ई.एस. श्रेत्र के कर्मचारियों का आव्हान करती है कि सभी संगठित हो जायें तथा हम पर गुलामी थोपने वाली इस अमानवीय कोशिश का विरोध करने के लिए आगे आयें। यह संशोधन (अगर हो जाता है) कर्नाटक के आई.टी. उद्योग में काम करने वाले 20 लाख कर्मचारियों पर एक हमला होगा।"

किटू के महासचिव सुहास अडिगा ने कहा, "यह (कार्यवाही) आई.टी./आई.टी.ई.एस. कम्पनियों के लिये काम के दैनिक घंटे अनिश्चित रूप से

- कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक शॉप्स एण्ड कॉमर्शियल एसटैबलिशमैंट (एमैंडमैंट) बिल में प्रतिदिन 14 घंटे काम करने का प्रस्ताव रखा है, जबकि पूर्व में 10 घंटे काम करने की अनुमति थी, जिसमें ओवर टाइम भी शामिल था।
- कर्नाटक स्टेट आई.टी. एम्पलॉइज़ यूनियन ने इस कदम को श्रमिक विरोधी बताया और कहा कि इससे शिफ्ट कम हो जाएंगी जिससे बेरोजगारी बढ़ेगी।
- आई.टी. निकाय नैसकॉम ने इस प्रस्ताव को अमानवीय व श्रमिकों के मूल अधिकारों का हनन बताया।
- इस प्रस्ताव के लिए कर्नाटक सरकार को बुरी तरह से ट्रोल किया जा रहा है। ज्ञातव्य है कि इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति ने भी ऐसा प्रस्ताव रखा था, जिसके लिए उन्हें दुनिया भर में ट्रोल किया गया था।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)